उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग'-2
संख्या-1/38-2-2013-50बी/2013
लखनऊ दिनांक- 28 नवम्बर 2013

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश के नवसृजित जनपदों में विकास भवन के निर्माण हेतु ग्राम्य विकास विभाग के स्तर पर निर्माण संबंधी प्रयोजनाओं का मानकीकरण अभी तक नहीं हुआ है। अत: प्रदेश के नवसृजित जनपदों में विकास भवन के निर्माण हेतु मानकीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- अत: प्रदेश के नवसृजित जनपदों में विकास भवन के निर्माण हेतु ग्राम्य विकास विभाग के स्तर पर निर्माण संबंधी प्रायोजनाओं का मानकीकरण किये जाने के संबंध में आयुक्त ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाता है।

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ । अध्यक्ष
2- अपर आयुक्त ,(प्रशासन) अथवा उनकी अनुपस्थिति में आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी सदस्य सचिव
3- अपर आयुक्त (लेखा) सदस्य
4- ऐसे जनपद के विभागीय मुख्य विकास अधिकारी, जहां का नया विकास भवन निर्मित हो चुका है। सदस्य
5- ऐसे जनपद के मुख्य विकास अधिकारी जहां विकास भवन निर्मित होना प्रस्तावित है। सदस्य

3- उक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि विकास भवन के निर्माण संबंधी समस्त आवश्कताओं के दृष्टिगत मॉडल विकास भवन हेतु प्रायोजना का मानकीकृत प्रस्ताव छ: सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराये।

(सुभाष चन्द्र त्रिवेदी)
विशेष सचिव।

संख्या' सा0'930(1)/38-02-2013तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास , उ0प्र0 लखनऊ।
(2) अपर आयुक्त (प्रशासन) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र उत्तम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in